

न्यायालय : प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड,
मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 1086/2015 इ.फौ.

संस्थापन दिनांक : 01.12.2015

फाइलिंग नंबर : 230303016172015

म.प्र.राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

- 1—सुखदेव पुत्र मनीराम कुशवाह उम्र 25 वर्ष
 - 2—कृष्णा कुशवाह पुत्र मनीराम कुशवाह उम्र 22 वर्ष
 - 3—कुबेर कुशवाह पुत्र जबरसिंह कुशवाह उम्र 25 वर्ष
 - 4—केबलसिंह पुत्र बैजनाथ उम्र 35 वर्ष
 - 5—रवि कुशवाह पुत्र जबरसिंह उम्र 24 वर्ष
 - 6—परशोत्तम कुशवाह पुत्र बैजनाथ कुशवाह उम्र 38 वर्ष
- समस्त निवासीगण ग्राम धमसा थाना गोहद जिला भिण्ड
म.प्र.

— अभियुक्तगण

(आरोप अंतर्गत धारा—294, 148, 323/149(दो शीर्ष), 324/149, एवं 506 भाग दो

भा0दं0सं0)

(राज्य द्वारा एडीपीओ— श्री प्रवीण सिकरवार)

(आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता—श्री आर0पी0एस0 गुर्जर)

निर्णय

(आज दिनांक 20-07-2017 को घोषित)

1. आरोपीगण पर दिनांक 30.04.15 को रात्रि के करीब 8:40 बजे कमलेश राठौर के घर के सामने ग्राम धमसा में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी जगदीश को मां—बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित करने, जगदीश को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित करने, सहआरोपीगण के साथ मिलकर विधि विरुद्ध जमाव का निर्माण करने एवं

उस जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में घातक आयुधों से सुसज्जित होकर बल एवं हिंसा कारित कर बलवा कारित करने, सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में फरियादी जगदीश एवं आहत बलराम की लाठियों से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित करने तथा सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में आहत रोहित की धारदार आयुध से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने हेतु भा0द0स0 की धारा 294, 506 भाग दो, 148, 323/149 (दो शीर्ष) एवं 324/149, के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 30.04.15 को फरियादी जगदीश राठौर की बारात ग्राम धमसा में कमलेश राठौर के यहां गयी थी। रात्रि करीबन 8:40 बजे बारात में वह सभी लोग डांस कर रहे थे तभी ग्राम धमसा के परपोत्तम, केवल, कुबेरसिंह, सुखदेव, रवि कुशवाह, एवं कृष्णा एकराय होकर आये थे और बारात में डांस करने लगे थे उन लोगों के मना करने पर सभी आरोपीगण मां-बहन की अश्लील गालियां देने लगे थे। जब उसने गालियां देने से मना किया था तो सभी आरोपीगण ने लाठियों तथा डण्डों से उनकी मारपीट की थी जिससे उसके सिर में चोट आई थी तथा भाई बलराम के हाथ एवं सिर में चोट आई थी एवं बहनोई रोहित के सिर में चोट आई थी। आवाज सुनकर ग्राम निबरौल के बैजनाथ एवं रामौतार आ गये थे जिन्होंने घटना देखी थी एवं बीच बचाव किया था। आरोपीगण ने जाते समय जान से मारने की धमकी भी दी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोहद में अप0क्र0 123/15 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे, आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
3. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।
4. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में फरियादी जगदीश एवं आहत बलराम व रोहित द्वारा आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेने के कारण आरोपीगण को भा0द0स0 की धारा 294, 323/149 दो शीर्ष एवं 506 भाग दो के आरोप से पूर्व में ही दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है एवं आरोपीगण के मात्र भा0द0स0 की धारा 148 एवं 324/149 के अंतर्गत विचारण शेष है।
5. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वे निर्दोष है उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।
6. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए हैं:-
 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 30.04.15 को रात के करीबन 8:40 बजे कमलेश राठौर के घर के सामने ग्राम धमसा में सह आरोपीगण के साथ मिलकर विधि विरुद्ध जमाव का निर्माण किया एवं उक्त जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में घातक आयुधों से सुसज्जित होकर बल एवं हिंसा

कारित कर बलवा कारित किया ?

2. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में आहत रोहित की धारदार आयुध से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?

7. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से साक्षी डॉ० धीरज गुप्ता अ०सा००१, फरियादी जगदीश राठौर अ०सा००२, बलराम राठौर अ०सा००३, रोहित अ०सा००४, एस.आई. जजसिंह यादव अ०सा००५, बैजनाथ अ०सा००६ एवं रामअवतार अ०सा००७, को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

विचारणीय प्रश्न क्रमांक ०१ एवं ०२

8. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एकसाथ किया जा रहा है।
9. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी जगदीश राठौर अ०सा००२ ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना दिनांक 30.04.15 की शाम 8:30-पौने नौ बजे की है। वह सभी आरोपीगण को जानता है। उसके छोटे भाई गंधर्वसिंह की बारात ग्राम धमसा गयी थी। बारात में वह नाचते हुए जा रहे थे। रास्त में हाजिर अदालत आरोपीगण का घर पड़ता था जैसे ही उनकी बारात आरोपीगण के घर के सामने से निकली थी तो सभी आरोपीगण बारात में घुसकर नाचने लगे थे और धक्का मुक्की करने लगे थे मना करने पर आरोपीगण ने मां-बहन की गालियां दी थी तथा लाठी डण्डों से उनकी मारपीट की थी। सभी लोगों ने लाठी डण्डों से उसकी, उसके भाई एवं बहनोई रोहित की मारपीट की थी। उसे व उसके बहनोई को सिर में एवं बलराम को हाथ में चोटें आई थी। मौके पर उसके चाचा बैजनाथ एवं रामअवतार ने उसे बचाया था। उसने घटना की रिपोर्ट दूसरे दिन की थी। वह रात में गये थे तो पुलिसवालों ने कहा था कि कल आना तो फिर उसने दूसरे दिन रिपोर्ट की थी। उसका इलाज घटना की रात में ही हुआ था। रिपोर्ट प्र०पी-3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामौका प्र०पी-4 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 3 में साक्षी ने व्यक्त किया है कि वह आरोपीगण को पहले नहीं जानता था घटना के समय से ही जानता है। वह न्यायालय में हाजिर आरोपीगण के अलग-अलग नाम नहीं बता सकता है एवं स्पष्ट किया है कि यही लोग थे। पद क्रमांक 4 में उक्त साक्षी का कहना है कि घटना के बाद वह थाना गोहद नहीं गया था वह सीधे अस्पताल गया था क्योंकि उसके बहनोई को ज्यादा चोट थी। पद क्रमांक 7 में साक्षी का कहना है कि वह नहीं बता सकता कि आरोपीगण में से किसके-किसके हाथ में डण्डे थे एवं किस-किसने कहां-कहां चोट पहुंचाई थी।
10. आहत बलराम राठौर अ०सा००३ ने भी अपने कथन में बताया है कि घटना वाले दिन आरोपीगण एकजुट होकर आ गये थे और उसकी बारात में डांस करने लगे थे तभी आरोपीगण ने पत्थर और डण्डों से मारपीट कर उनके सिर फोड़ दिए थे। मारपीट में उसके, उसके भाई जगदीश एवं बहनोई रोहित के सिर में चोटें आई थीं। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 2 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया

है कि वह हाजिर अदालत सभी आरोपीगण को जानता है वह सबके अलग-अलग नाम नहीं बता सकता है परन्तु वह सबको पहचानता है। पद क्रमांक 3 में उक्त साक्षी का कहना है कि वह पहले अस्पताल नहीं गया था थाने गया था इसके तुरंत पश्चात साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया है उसने 100 नंबर पर फोन कर दिया था तो पुलिस वहीं पर आ गयी थी रिपोर्ट दूसरे दिन लिखी गयी थी पुलिस मौके पर पहुंची थी लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की थी।

11. आहत रोहित अ0सा04 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसके न्यायालयीन कथन से दो साल पहले शाम साढ़े आठ बजे वह अपने साले गंधर्व की बारात में शामिल होने के लिए ग्राम धमसा में कमलेश राठौर के यहां गया था वह और उसके साथ के लोग डी.जे. पर डांस कर रहे थे तो बीच में आरोपीगण भी आ गये थे और डांस करने लगे थे। जगदीश ने आरोपीगण को डांस करने से मना किया था तो आरोपीगण गालियां देने लगे थे। आरोपीगण में से किसी ने पीछे से उसके सिर में ईंट मारी थी जिससे खून निकलने लगा था। आरोपीगण द्वारा हाथ और लाठी की मारपीट से बलराम व जगदीश को चोटें आईं। मौके पर बैजनाथ एवं रामअवतार ने बीच बचाव कराया था। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 3 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि वह आज नहीं बता सकता कि घटना के समय कितने आरोपीगण थे। इसके तुरंत पश्चात ही उक्त साक्षी द्वारा व्यक्त किया गया है कि सभी आरोपीगण घटना के समय मौजूद थे। पद क्रमांक 4 में साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि वह नहीं बता सकता कि किस आरोपी ने उसके सिर में ईंट से चोट पहुंचाई थी।
12. साक्षी बैजनाथ अ0सा06 एवं रामौतार अ0सा07 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया गया है। उक्त दोनों ही साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त दोनों ही साक्षियों ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है। अतः उक्त साक्षीगण के कथनों से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।
13. डॉ0 धीरज गुप्ता अ0सा01 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 30.04.15 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में आहत रोहित का चिकित्सीय परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान उसने रोहित के सिर में कटा हुआ घाव पाया था। उसके मतानुसार उक्त चोट कठोर एवं धारदार वस्तु से आना संभावित थी एवं सामान्य प्रकृति की थी। उसकी रिपोर्ट प्र0पी-2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
14. एस.आई. जजसिंह यादव अ0सा05 ने विवेचना को प्रमाणित किया है।
15. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अतः उक्त बिन्दु पर अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित नहीं है।
16. प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी बैजनाथ अ0सा06 एवं रामअवतार अ0सा07 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया गया है। आरोपीगण के विरुद्ध

फरियादी जगदीश राठौर अ0सा02, बलराम अ0सा03 एवं रोहित अ0सा04 के कथन शेष हैं ऐसी स्थिति में प्रकरण में आई साक्ष्य का सूक्ष्मता से मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है।

17. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में फरियादी जगदीश एवं आहत बलराम तथा रोहित द्वारा आरोपीगण से राजीनामा कर लेने के कारण आरोपीगण को पूर्व में ही भा0द0स0 की धारा 294, 323/149 (दो शीर्ष) एवं 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है तथा आरोपीगण के विरुद्ध मात्र भा0द0स0 की धारा 148, एवं आहत रोहित की मारपीट के संबंध में धारा 324/149 के अंतर्गत विचारण शेष है।
18. उक्त संबंध में फरियादी जगदीश राठौर अ0सा02 ने न्यायाल के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन वह लोग बारात में नाचते हुए जा रहे थे तो सभी आरोपीगण बारात में घुसकर नाचने लगे एवं जब उन लोगों ने आरोपीगण को नाचने से मना किया था तो सभी आरोपीगण ने लाठी डण्डों से उसकी, उसके भाई बलराम तथा बहनोई रोहित की मारपीट की थी। इस प्रकार जगदीश राठौर अ0सा02 ने अपने कथन में आरोपीगण द्वारा उसकी व उसके भाई बलराम एवं रोहित की लाठी डण्डों से मारपीट करना बताया है जबकि बलराम राठौर अ0सा03 ने व्यक्त किया है कि आरोपीगण ने पत्थर एवं डण्डों से मारपीट कर उनके सिर फोड़ दिए थे एवं आहत रोहित अ0सा04 का कहना है कि झगड़े के दौरान आरोपीगण में से किसी ने पीछे से उसके सिर में ईंट मारी थी जिससे खून निकलने लगा था। आरोपीगण ने हाथ और लाठी से मारपीट कर बलराम और जगदीश को चोटें पहुंचाई थी। इस प्रकार फरियादी जगदीश अ0सा02, बलराम अ0सा03 एवं आहत रोहित अ0सा04 के कथन से यह दर्शित है कि उक्त साक्षीगण के कथन अपने परीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं जो साक्षीगण के कथनों को अविश्वसनीय बना देते हैं।
19. आहत रोहित अ0सा04 ने अपने कथन में यह बताया है कि झगड़े के दौरान आरोपीगण में से किसी ने पीछे से उसके सिर में ईंट मारी थी जिससे उसके खून निकलने लगा था इस प्रकार रोहित अ0सा04 के कथनों से यह दर्शित है कि उसे यह जानकारी नहीं है कि उस ईंट किस आरोपी ने मारी थी। उक्त साक्षी के कथनो से यही प्रकट होता है कि उसने ईंट मारने वाले को नहीं देखा था। इसके अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आहत रोहित अ0सा04 द्वारा यह बताया गया है कि आरोपीगण में से किसी ने पीछे से उसके सिर में ईंट मारी थी जिससे उसके सिर में चोट आई थी परन्तु यह बात कि रोहित के सिर में ईंट लगने से चोट आई थी फरियादी जगदीश राठौर अ0सा02 एवं बलराम अ0सा03 द्वारा नहीं बतायी गयी है। उक्त साक्षीगण का ऐसा कहना नहीं है कि उक्त आरोपीगण में से किसी ने पीछे से रोहित के सिर में ईंट मारी थी। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर भी आहत रोहित अ0सा04 के कथन फरियादी जगदीश अ0सा02 एवं बलराम अ0सा03 के कथन से पुष्ट नहीं रहे हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि रोहित अ0सा04 ने उसके सिर में ईंट से चोट आना बताया है परन्तु इस तथ्य का उल्लेख ना तो प्र0पी-3 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में है और ना ही स्वयं आहत रोहित अ0सा04 के पुलिस कथन प्र0डी-1 में है। प्र0पी-3 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं प्र0डी-1 के पुलिस कथन में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है

कि आरोपीगण ने झगड़े के दौरान ईंट से भी मारपीट की थी। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर आहत रोहित अ0सा04 के कथन उसके पुलिस कथन प्र0डी-1 से भी विरोधाभासी रहे हैं जो उसके कथनों को अविश्वसनीय बना देते हैं।

20. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्र0पी-3 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना दिनांक 30.04.15 के रात के 8:40 बजे की है एवं फरियादी जगदीश द्वारा घटना की सूचना थाने पर दिनांक 01.05.15 को दिन के 15:00 बजे अर्थात् दिन के 03:00 बजे दी गयी थी। जबकि फरियादी जगदीश एवं आहत रोहित की चिकित्सीय रिपोर्ट प्र0पी-1 एवं 2 के अवलोकन से यह दर्शित है कि फरियादी जगदीश का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 30.04.15 को रात्रि 09:50 बजे एवं आहत रोहित का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 30.04.15 को रात्रि 09:40 बजे हुआ था। डॉ० धीरज गुप्ता अ0सा01 ने अपने कथन में भी दिनांक 30.04.15 को ही आहत जगदीश एवं रोहित का चिकित्सीय परीक्षण करना बताया है। इस प्रकार प्र0पी-3 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं प्र0पी-1 व 2 की चिकित्सीय रिपोर्ट से यह दर्शित होता है कि फरियादी जगदीश एवं आहत रोहित का चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट लिखने के पूर्व ही हो गया था। यद्यपि रिपोर्ट लिखने के पूर्व आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण होना कोई अस्वाभाविक परिस्थिति नहीं है परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि फरियादी जगदीश एवं आहत रोहित के मुलाहिजा फार्म दिनांक 30.04.15 को ही भरे गये हैं एवं फरियादी जगदीश तथा आहत रोहित के मुलाहिजा फार्म से यही प्रकट होता है कि थाना प्रभारी गोहद द्वारा दिनांक 30.04.15 को फरियादी जगदीश एवं आहत रोहित को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया था जबकि फरियादी जगदीश राठौर अ0सा02 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि वह घटना के बाद थाना गोहद नहीं गया था सीधा अस्पताल गया था। प्र0पी-3 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी यही वर्णित है कि घटना दिनांक 30.04.15 को शादी होने के कारण रिपोर्ट करने नहीं आ पाये थे। इस प्रकार फरियादी जगदीश अ0सा02 के कथन एवं प्र0पी-3 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित अनुसार यदि फरियादीगण दिनांक 30.04.15 को थाने नहीं गये थे तो ऐसी स्थिति में फरियादी जगदीश एवं आहत रोहित का मुलाहिजा फार्म दिनांक 30.04.15 को किस प्रकार भरा गया इसका कोई स्पष्टीकरण अभियोजन द्वारा नहीं दिया गया है एवं उक्त तथ्य अत्यंत तात्त्विक हैं जोकि संपूर्ण अभियोजन कहानी को संदेहास्पद बना देता है।

21. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फरियादी जगदीश अ0सा02 ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि वह घटना वाले दिन रात में रिपोर्ट करने गये थे तो पुलिसवालों ने कहा था कि कल आना एवं प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि वह घटना के बाद थाना गोहद नहीं गया था सीधे अस्पताल गया था। जबकि बलराम राठौर अ0सा03 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि उसने 100 नंबर को फोन किया था तो पुलिस मौके पर आ गयी थी लेकिन पुलिस ने वहां पर कोई कार्यवाही नहीं की थी। इस प्रकार बलराम राठौर अ0सा03 का कहना है कि पुलिस मौके पर आ गयी थी परन्तु यह बात फरियादी जगदीश अ0सा02 द्वारा नहीं बतायी गयी है। उक्त बिन्दु पर फरियादी जगदीश अ0सा02 एवं बलराम अ0सा03 के कथन अपने परीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं जो समग्र अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देते हैं।

22. फरियादी जगदीश राठौर अ0सा02 ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि वह सभी आरोपीगण को जानता है तथा यह भी व्यक्त किया है कि सभी आरोपीगण ने लाठी डण्डों से उसकी व उसके भाइयों की मारपीट की थी। जबकि प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वह नहीं बता सकता कि किस-किस आरोपीगण के हाथ में डण्डे थे। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर भी फरियादी जगदीश अ0सा02 का कथन अपने परीक्षण के दौरान विरोधाभासी रहा है। आहत रोहित अ0सा04 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह व्यक्त किया है कि वह नहीं बता सकता कि घटना के समय कितने आरोपीगण थे इसके तुरंत पश्चात ही उक्त साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि सभी आरोपीगण घटना के समय मौजूद थे। इस प्रकार आहत रोहित अ0सा04 द्वारा एक ही समय में एक ही बिन्दु पर भिन्न-भिन्न कथन किए गए हैं यह तथ्य भी अभियोजन घटना के प्रति संदेह उत्पन्न कर देता है। फरियादी जगदीश अ0सा02 ने सभी आरोपीगण द्वारा लाठी डण्डा लेकर उसकी व उसके भाइयों की मारपीट करना बताया है जबकि बलराम अ0सा03 ने सभी आरोपीगण द्वारा पत्थर एवं डण्डों से उसकी मारपीट करना बताया है एवं आहत रोहित ने ईंट से उसकी मारपीट होना बताया है। उक्त साक्षीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस आरोपी के हाथ में डण्डा था। आहत रोहित अ0सा04 द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि वह नहीं बता सकता कि घटना के समय कितने आरोपीगण मौके पर मौजूद थे। उक्त बिन्दु पर भी फरियादी जगदीश अ0सा02, बलराम अ0सा03 एवं रोहित अ0सा04 के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। ऐसी स्थिति में सभी आरोपीगण की मौके पर उपस्थिति भी संदेहास्पद है। उपरोक्त सभी तथ्य संपूर्ण अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देते हैं।
23. उपरोक्त चरणों में की गयी समग्र विवेचना से यह दर्शित है कि प्रकरण में फरियादी जगदीश अ0सा02, बलराम अ0सा03 एवं रोहित अ0सा04 के कथन परस्पर तात्विक बिन्दुओं पर विरोधाभासी रहे हैं। आहत रोहित अ0सा04 के कथन प्र0पी-3 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं उसके पुलिस कथन प्र0डी-1 से भी विरोधाभासी रहे हैं। स्वतंत्र साक्षी बैजनाथ अ0सा06 एवं रामअवतार अ0सा07 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। मुलाहिजा फार्म रिपोर्ट लिखने के पूर्व ही भरा जाना दर्शित है एवं अभियोजन द्वारा उक्त तथ्य का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।
24. संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपीगण को दिया जाना उचित है।
25. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 30.04.15 को रात्रि करीबन 8:40 बजे कमलेश राठौर के घर के सामने ग्राम धमसा में सहआरोपीगण के साथ मिलकर विधि विरुद्ध जमाव का निर्माण किया एवं उस जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में घातक आयुधों से सुसज्जित होकर बल एवं हिंसा कारित कर बलवा

कारित किया तथा उसी समय सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में आहत रोहित की धारदार आयुध से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी सुखदेव, कृष्णा, कुबेर कुशवाह, केवलसिंह, रवि कुशवाह, एवं परषोत्तम को संदेह का लाभ देते हुए उन्हें भा0द0स0 की धारा 148 एवं 324 / 149 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

26. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

27. प्रकरण में जप्तशुदा डण्डे मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात तोड़-तोड़कर नष्ट किए जावें। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान – गोहद
दिनांक – 20.07.2017

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,
खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

सही / –

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)